सारण समाहरणालय,छपरा
(जिला स्थापना शाखा)
आदेश-...231.../2017

दिनांक-09.08.2017 को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विज्ञापन संख्य-01/2012 के तहत समूह-"घ" के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल निर्माण से संबंधित मेधा सूची का प्रारूप प्रकाशन निम्नवत किया जाता है :-

विज्ञापन संख्या-01/2012 में नियोजनालय के माध्यम से कुल-10451 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। प्राप्त आवेदन पत्र का डेटावेस पूर्व के बैठकों में लिए गये निर्णयानुसार तैयार कर प्रकाशित किया गया था। डेटावेश के अनुसार आवेदकों द्वारा अपने आवेदन पत्र में दिये गये कार्यानुभव/मानव दिवसों का सत्यापन कर वैद्य कार्यानुभव प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु संबंधित विभाग के कार्यालय प्रधान से इस कार्यालय के पत्रांक-1972, दिनांक- 18.12.2012, 1127, दिनांक-14.10.2016, 83, दिनांक-27.01.2017, 288, दिनांक-09.03.2017, 501, दिनांक-22.04.2017, 624, दिनांक-26.05.2017, अर्द्धसरकारी पत्र सं0-799, दिनांक-08.07.2017, 822, दिनांक-12.07.2017, 833, दिनांक-14.07.2017, 853, दिनांक-19.07.2017, 873, दिनांक-24.07.2017, 874, दिनांक-24.07.2017 एवं अंतिम स्मार पत्रांक-937/स्था0, दिनांक-03.08.2017 द्वारा अनुरोध किया गया था। सारण जिला के बाहर के कार्यालयों से प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के फलस्वरूप चयन समिति की दिनांक-25.07.2017 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णयानुसार विभिन्न समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कराया गया कि सारण जिला के बाहर के कार्यालयों से दिनांक-02.08.2017 तक आवेदकों का रिक्त पदों के विरुद्ध वर्षवार कार्यदिवस/कार्यानुभव संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदकों का कार्यानुभव को शून्य मानते हुए तद्नुसार पैनल निर्माण की अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी। चूंकि यह मामला M.J.C.NO-1767/2016 विक्रमा कुमार साह उर्फ विक्रमा प्रसाद एवं अन्य वनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक-30.06.2017 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व के निदेश के आलोक में प्रश्नगत वाद से संबंधित विषय का निष्पादन कर अंतिम निष्कर्ष से माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराने हेतु 6 सप्ताह का समय सीमा निर्धारित किया गया है तथा उक्त समय सीमा के पश्चात् इस वाद को सुनवाई हेतु सूचीवद्ध किया गया है। संबंधित विभाग से आवेदकों के कार्यानुभव प्रतिवेदनं को विहित प्रपत्र में टंकित कराया गया है।

विज्ञापन सं0-01/2012 में उल्लेखित अंतिम तिथि-31.07.2012 तक कुल-10451 आवेदन पत्रों को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-7365, दिनांक-29.06.2011 के आलोक में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर एवं विज्ञापन में निर्गत अर्हता के आधार पर चार कोटियों में वर्गीकृत किया जाना है। सामान्य प्र0 वि0 के उक्त पत्र के कंडिका 2(i) के अनुसार निदेशित किया गया है कि जिन पदों के लिए जिला पदाधिकारी चयन पदाधिकारी हैं, जिनके पारिश्रमिक का भुगतान बिहार सरकार की राशि से होता है उन्हीं रिक्त पदों के विरुद्ध कार्य करने वाले दैनिक पारिश्रमिक के कार्य अनुभव को वैद्य कार्यानुभव माना जायेगा।

कंडिका-2(ii) के अनुसार चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदकों का वैद्य कार्यानुभव/मानव दिवसों के गणना के आधार पर **न्यूनतम 240 दिनों की अर्हता मानते हुए मेधा सूची में प्रथम प्राथमिकता पर रखा जा सकता है।**

240 दिनों की अर्हता एक **calendar** वर्ष में होने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा **L.P.A.NO- 1287/2013,** रामबहादुर सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य वाद में दिनांक-20.01.2015 **को पारित आदेश का सारांश निम्नवत है :-**

In the circular dated 29th June 2011 [Lt. no-7365 dt-29-06-2011] the Government issued certain guidelines for example. it mandates that if, an individual is working on daily wages against the vacant posts carrying emoluments from the Govt. Fund, he shall be considered for appointment against such vacancy. Benefits are conferred upon the persons, who have put in 240 days of work obviously in a calendar year other such benefits were also conferred.

विभागीय पत्रांक-7365, दिनांक-29.06.2011 की कंडिका-2(iii) एवं 2(iv) के संबंध में पत्रांक-147 मु0/स्था0, दिनांक-01.08.2017 द्वारा निम्न विन्दुओं पर मार्गदर्शन की मांग स0प्र0वि0 से की गई है जो अप्राप्त है।

(क) समाहरणालय एवं इससे सीधे रूप से सम्बद्ध कार्यालयों में दैनिक पारिश्रमिक के तहत प्रतिवर्ष 240 दिनों से कम दिनों तक कार्य करने वाले आवेदकों के सभी वर्षों के कार्यानुभव/मानव दिवसों की गणना कर मेधा सूची में द्वितीय प्राथमिकता में रखा जा सकता है या नही ?

(ख) समाहरणालय एवं सम्बद्ध कार्यालयों के अतिरिक्त **Line Department** में कार्य करने वाले दैनिक पारिश्रमिक के तहत न्यूनतम 240 दिनों से कम दिनों तक कार्य करने वाले आवेदकों की प्रत्येक वर्ष के कार्यानुभव/मानव दिवसों की गणना कर पैनल निर्माण हेतु मेधा सूची में तृतीय प्राथमिकता सूची में रखा जा सकता है या नही ?

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी मार्गदर्शन मांगा गया था कि सारण समाहरणालय में **वर्ष-1984-85 में 310 उम्मीदवारों का जिला स्तर पर पैनल निर्माण किया गया था,** उसके शेष बचे उम्मीदवारों को **विज्ञापन संख्या-01/2012** के तहत प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर पैनल में उन्हें अधिमान्यता दी जायेगी या नहीं? साथ ही उन्हें मेधा सूची के किस प्राथमिकता पर रखा जायेगा ऐसे उम्मीदवारों की कुल संख्या-33 है।

विभागीय पत्रांक-7365, दिनांक-29.06.2011 की **कंडिका-2(vi)** के अनुसार बिना किसी कार्यानुभव वाले आवेदकों को अधिक उम्र के आधार पर मेधा सूची में चतुर्थ प्राथमिकता पर रखा जा सकता है।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-...../विधिक-01.(सिवान)-02/2016, दिनांक-14.07.16 से समाहरणालय सिवान का पत्रांक-12मु0/नजारत, दिनांक-04.04.2016 के संबंध में निम्नवत मार्गदर्शन दिया गया है :-

(i) विभागीय पत्रांक-7365, दिनांक-29.06.2011 के **कंडिका-2 (i)** में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जिन पदो के लिए जिला पदाधिकारी चयन पदाधिकारी होते हैं तथा जिनके पारिश्रमिक का भुगतान बिहार सरकार की राशि से होता है उन्ही रिक्त पदो के विरूद्ध कार्य करने वाले दैनिक पारिश्रमिक के कार्यानुभव को वैद्य कार्यानुभव माना जा सकता है। अतएव रिक्त पदों से भिन्न पदों पर की गई दैनिक कार्यानुभव की अधिमानता देय नहीं है।

(ii) विभागीय परिपत्र संख्या-7365, दिनांक-29.06.2011 की **कंडिका-2 (ii)** में चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदकों का वैद्य कार्यानुभव/मानव दिवसों की गणना के आधार पर न्यूनतम 240 दिन की अर्हता को मेधा सूची में प्रथम प्राथमिकता पर रखे जाने का प्रावधान किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि 240 दिन के कार्यानुभव को न्यूनतम अर्हता माना गया है। अतः इससे कम कार्यानुभव की अधिमानता देने का प्रश्न नहीं उठता है।

(iii) **समूह-"घ"** (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली-2010 की कंडिका-5 के अनुसार रिक्ति का आकलन प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रैल को आकलन करने का प्रावधान पैनल निर्माण हेतु किया गया है। नियमावली की कंडिका-6(4) में पैनल की वैधता एक साल तक निर्धारित की गयी है एवं इसके आधार पर अगले 31 मार्च तक नियुक्ति किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतएव 31 मार्च तक (पूर्व के वित्तीय वर्ष में) की गई कार्यानुभव/मानव दिवसों की गणना की जा सकती है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-779(4)रा0, दिनांक-04.08.17 एवं संकल्प ज्ञापांक-253(4)रा0, दिनांक-19.06.2013 के कंडिका (iii) के अनुसार **जनगणना 1991 के छटनीग्रस्त कर्मचारी** यदि उम्र सीमा पार कर चुके हों तब उनको निर्धारित उम्र सीमा में एकबार **(one time)** छुट प्रदान की जायेगी, वशर्ते जनगणना संगठन में प्रारंभिक नियुक्ति के समय उनकी उम्र निधार्रित उम्र सीमा के भीतर थी।

डी0डी0टी0 छिड़काव कर्मियों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा L.P.A.No-1287/2013, रामबहादुर सिंह बनाम बिहार सरकार वगै0 एवं अन्य L.P.A वाद में दिनांक-20.01.2015 को पारित आदेश का सारांश निम्नवत है :-

In the circular dated 29th june 2011. the Govt issued certain guide-lines for example, it mandates that if, an individual is working on daily wages against the vacant post carrying the emoluments from the Govt fund, he shall be considered for appointment against such vacancy. Benefits are conferred upon the persons, who have put in 240 days of work obviously in a calendar year. Other such benefits were also conferred.

We find it difficult to fit the appellants in to any such category. After verification of the relevant facts as well as the circulars the District Magistrate has taken the view that the appellants can be included in the 4th priority List.

We do not find any basis to interfere with the order passed by the District Magistrate or the one passed by the learned single Judge.

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सर्व सम्मति से निम्नवत निर्णय लिया गया है:-

क :- विज्ञापन संख्या-01/2012 में उल्लेखित अंतिम तिथि-31.07.2012 तक कुल-10451 प्राप्त आवेदन पत्रों को सामान्य प्र0वि0, बिहार, पटना के पत्रांक-7365, दिनांक-29.06.2011 के आलोक में निम्नवत के अनुसार प्राथमिकता सूचीवार वर्गीकृत किया गया है। कोटिवार आवेदनों की संख्या निम्नवत पाई गई :-

1. रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदकों के वैद्य कार्य अनुभव/मानव दिवसों की गणना के आधार पर प्रतिवर्ष न्यूनतम 240 दिन कार्य करने वाले आवेदकों की कुल संख्या-**पूर्व के पैनल से 33+16 प्रथम प्राथमिकता=49**
2. समाहरणालय/अनुमण्डल/प्रखंड/अंचल इत्यादि में कार्य करने वाले आवेदको की कुल संख्या-**शून्य**
3. लाईन डिपार्टमेन्ट में कार्य करने वाले आवेदकों की कुल संख्या-**शून्य**
4. बिना किसी कार्य अनुभव वाले आवेदको की कुल संख्या-**9230**
5. निर्धारित अर्हता नहीं रखने के कारण अस्वीकृति योग्य आवेदन पत्रों की कुल संख्या-**1172**

ख **जिला परिषद्, नगर परिषद्, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, आत्मा, डी0आर0डी0ए0 एवं अन्य संस्था, सोसाईटी, स्थानीय स्वशासन के कार्यालय लाईन डिपार्टमेन्ट** की श्रेणी में नहीं आने के कारण इन संस्था में कार्य करने वाले दैनिक पारिश्रमिक पाने वाले को पैनल में कार्यअनुभव के आधार पर कोई अधिमानता नहीं दिये जाने एवं इसी प्रकार पल्स पोलियों कार्यक्रम के तहत काम करने वाले कर्मी के कार्यानुभव की अधिमानता नहीं दी जा सकती क्योंकि उनका भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति में प्राप्त एन0आर0एच0एम0 की राशि से होता है।

ग **बाढ़ साहाय् डी0डी0टी0 छिड़काव, पल्स पोलियो, पशु टिकाकरण, जनगणना (जनगणना 1991 को छोड़कर) एवं अन्य ऐसे आकस्मिक/मौसमी** कार्य के समय काफी कम समय के लिए काफी संख्या में दैनिक मजदूर/कर्मी को रखकर कार्य लिया जाता है, जो स्वीकृत बल के अन्तर्गत कार्यरत नहीं होते है ऐसे मौसमी कार्य करने वाले दैनिक मजदूर के कार्यानुभव को वैद्य कार्यानुभव नहीं माना जायेगा।

घ **भारत निर्वाचन आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट** जारी हो जाने के बाद से निर्वाचन प्रकिया की समाप्ति तक की अवधि में निर्वाचन हेतु स्वीकृत बल से बहुत अधिक संख्या में दैनिक मजदूरों से काम लिया जाता है जिनके कार्यानुभव को अधिमानता नहीं दी जायेगी।

ड. **वेल्ट्रॉन के द्वारा प्रतिनियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर व अन्य कम्प्यूटर ऑपरेटर व अन्य संख्या के द्वारा रखे गये कम्प्यूटर ऑपरेटर, विकास मित्र, न्याय मित्र के कार्य को भी कार्यानुभव के रूप में अधिमानता नहीं दी जायेगी।**

च **समूह-''घ''** के बदले अन्य रिक्त पद के विरूद्व कार्य किये जाने, किये गये कार्य दिवसों की संख्या वर्षवार प्रतिवेदित नहीं किये जाने, बिहार सरकार की राशि से भुगतान नहीं किये जाने के कारण भी कार्यानुभव के रूप में अधिमानता नहीं दी जायेगी।

छ विज्ञापन संख्या-01/2012 के आलोक में निर्धारित अर्हता धारण नहीं करने वाले आवेदकों का आवेदन पत्र अस्वीकृत किया गया।

ज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-7709(4)रा0, दिनांक-04.08.17 एवं संकल्प ज्ञापांक-253(4)रा0, दिनांक-19.06.2013 के आलोक में जनगणना 1991 के छटनीग्रस्त कर्मचारियों को मेधा सूची पैनल में सम्मिलित किया गया है।

झ डी0डी0टी0 छिड़काव कर्मियों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा L.P.A.NO-1287 2013, रामबहादुर सिंह बनाम बिहार सरकार वगै0 एवं अन्य L.P.A वाद में दिनांक-20.01.2015 को पारित आदेश के आलोक में उन्हें मेधा सूची पैनल के चतुर्थ प्राथमिकता में सम्मिलित किया गया है।

ञ सारण समाहरणालय में वर्ष-1984-85 में जिला स्तर पर पैनल का निर्माण किया गया था। उसके शेष बचे उम्मीदवारों को विज्ञापन संख्या-01/2012 के तहत प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर मेधा सूची में अधिमानता देते हुए सम्मिलित किया गया है।

इस संबंध में गोपालगंज जिला के M.J.C.No.-3712/2009, शंकर सिंह वगैरह बनाम बिहार सरकार वगैरह में माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना द्वारा दिनांक-14.11.2011 को पारित आदेश में पूर्व के पैनल के शेष उम्मीदवारों को वर्तमान में तैयार की जाने वाली पैनल में उम्र सीमा की अधिमानता देने का आदेश पारित किया गया है।

ट विज्ञापन में रिक्ति का प्रकाशन नहीं हो सका है पर निर्णय लिया गया कि विज्ञापन के प्रकाशन के पूर्व जो रोस्टर पंजी क्लीयर है उसी रिक्ति के आधार मानकर पैनल तैयार किया जायेगा।

उपरोक्त निर्णय के आलोक में जिला चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत पैनल निर्माण मेधा सूची का सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया। निदेश दिया गया कि इसे सारण जिला के बेबसाईट www.saran.bih.nic.in पर upload किया जाय, साथ ही इसकी सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाय कि आवेदक इसके संबंध में अपना दावा/आपति निबंधित डाक से स्थापना उप समाहर्ता, सारण, छपरा के पत्ता पर दिनांक-31.08.2017 तक दे सकेंगे ताकि उसके निष्पादनोपरान्त पैनल संबंधित मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा सके।

9/8/17

जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा।